न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास — श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 6/2016

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1सुमेरसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी गोठ तहसील जायल जिला नागौर। 2करणसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी गोठ तहसील जायल जिला नागौर।		नायब तहसीलदार, डेह तहसील जायल।

उपस्थिति :—

1. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 02.11.17

(1)—मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेह द्वारा धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 31/2014 सरकार बनाम सुमेरसिंह में निर्णय दिनांक 12.08.2014 के तहत मौजा मांगलोद के खसरा नं. 884 रकबा 6 बिस्वा गै.मु. रास्ता व खसरा नं. 885 गै.मु. रास्ता भूमि में रकबा 5 बिस्वा कुल 11 बिस्वा भूमि से बेदखली एवं शास्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.01.16 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 21.01.16 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

(2)—उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट्स को कभी भी नोटिस प्राप्त नही हुए थे। न अपीलांटस के अंगूठे/हस्ताक्षर नोटिसों पर है। तामील फर्जी है। अपीलांटस को पहले अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नही हो सकी थी। क्योंकि अपीलाधीन निर्णय अपीलांटस के पीठ पीछे किया गया था। अभी कुछ समय पहले जायल थाने से पुलिस कर्मचारी अपीलांटस की गैरमौजूदगी में गिरफ्तारी वारण्ट लेकर आया तथा उसने बताया कि तहसील से वारण्ट जारी हो रखे है। तब अपीलांटस ने सारी जानकारी की। तब इस निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी होते ही अपीलांट्स ने नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया तथा नकल मिलते ही तत्काल अपील प्रस्तुत की गई। समय भीतर अपील प्रस्तुत नही करने का समुचित व पर्याप्त कारण रहा है। अपीलांट्स ने मियाद हेतु प्रार्थना पत्र व उसके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका राजकीय अभिभाषक द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मामले में नरम रूख अपनाते हुए अपीलांटस की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांटस ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि —

(I)—अपीलाधीन निर्णय अवैध, अनाधिकृत, विधि विरूद्व, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

(2)(II)—अपीलांटस के विरूद्व विरोधी पार्टी ने झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट में अपीलांटस का अतिक्रमण किन खसरों की भूमि पर है। उसका कोई उल्लेख नही किया गया था।

(2)(III)—पटवारी ने अपीलांटस का गांव मांगलोद के खसरा नं. 884 व 885 की 11 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण की झूठी रिपोर्ट तहसील में दी थी। अपीलांटस का कभी भी खसरा नं. 884 व 885 की भूमि पर अतिक्रमण नही रहा था और न आज दिन खसरा नं. 884 व 885 की भूमि पर अतिक्रमण है।

(2)(IV)—अपीलांटस को कभी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये नोटिस प्राप्त नही हुए थे न ही अपीलांटस की नोटिसों पर तामील हुई थी। अपीलांट करणसिंह के नोटिस पर फर्जी अंगूठा निशानी है तथा सुमेरसिंह के नोटिस पर भी श्रवणसिंह की फर्जी अंगूठा निशानी है। श्रवणसिंह अपीलांट सुमेरसिंह के साथ रहता भी नही है। दोनो अपीलांटस पर विधिअनुसार तामील नही होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की गई है।

(2)(V)—सुमेरसिंह व करणसिंह दोनो ही अपीलांटस को अपीलाधीन मुकदमें व निर्णय की किसी

अपर कलक्टर, नागौर

प्रकार की जानकारी नही थी। सुमेरसिंह अधीनस्थ के समक्ष दिनांक 31.7.14 या अन्य किसी दिन उपस्थित नही हुआ और न ही उसने कभी अतिक्रमण हटा लेने का लिख कर ही दिया। अतिक्रमण हटा लेने के किसी आवेदन पर अपीलांट सुमेरसिंह के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी नही है। यदि ऐसे किसी आवेदन को पत्रावली में संलग्न किया गया है तो विरोधी पक्ष से मिलकर किया गया है तथा ऐसे आवेदन पर यदि सुमेरसिंह का अंगूठा बताया जाता है तो वह फर्जी व गलत अंगूठा निशानी है। सुमेरसिंह का अंगूठा नही है।

(2)(VI)–वापस दुबारा पटवारी से रिपोर्ट मंगाना व रिपोर्ट में पटवारी द्वारा अपीलांटस का अतिक्रमण होने की फर्जी रिपोर्ट तैयार कराई गई जिससे भी साबित होता है कि अपीलांटस के विरूद्व सारी कार्यवाही फर्जी व कूटरचित है।

(2)(VII)–अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की साक्ष्य खसरा नं. 884 व 885 पर अपीलांटस के कब्जा होने की नही होते हुए भी अपीलांट को खसरा सं. 884 व 885 पर अतिक्रमी मानने व 884 व 885 की भूमि पर से बेदखल करने के आदेश गलत पारित किये गये है।

(2)(VIII)–खसरा सं. 890 वाके मौजा मांगलोद अपीलांटस के खातेदारी की भूमि रही है लेकिन इस खसरा सं. 890 में से सडक निकल जाने के कारण इसके दो नं. 890 व 890/1085 बन गये। अपीलांटस के खातेदारी की इस भूमि के दो अलग अले नंबर गिरने व इस खसरा सं. 890 के बीच में से सडक निकली हैं। उस सडक का रकबा गलत रूप से 5 बीघा से अधिक दर्ज कर देने से अपीलांट की खसरा सं. 890 की भूमि का रकबा राजस्व रेकर्ड में कम अंकित हो गया। जबकि मौके पर 890 व 890/1085 का रकबा ज्यादा है और इसी कारण से अपीलांटस को अन्य खसरो की भूमि पर गलत रूप से अतिक्रमी बताया गया है। इसलिये आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

(3)–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट्स द्वारा मांगलोद में स्थित गै.मु. रास्ता व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्टस को अतिक्मी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

(4)– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके मांगलोद के खसरा नंबर 884 रकबा 6 बिस्वा व खसरा नंबर 885 रकबा 5 बिस्वा कुल 11 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है तथा अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(5)– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

(6)– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर